न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, **I.A.S.**

प्रकरण संख्या —84 / 2025 (अपील)

GCMS No.- 2025 / 136

मोनिका काबरा पत्नी श्री मनीष काबरा निवासी 7 बी इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. किरण काबरा पत्नी स्व0 श्री विजय कुमार काबरा
2. मनीष काबरा पुत्र स्व0 श्री विजय कुमार काबरा निवासीगण फ्लेट नं0 ए—102, चम्बल अपार्टमेन्ट, शक्ति नगर, चम्बल गार्डन रोड, दादाबाडी, कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 30.5.2025 मि0नं0 4 / 2025 प्रार्थना पत्र भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम 2007 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा

उपस्थितः—

1. श्री राकेश श्रृंगी, अभिभाषक अपीलांट
2. अरूणा पाटनी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं01

निर्णय

दिनांक— 14.10.2025

1 प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नं0 1 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के पेश किया जाने पर प्रस्तुत प्रार्थना पर दिनांक 30.05.2025 को आदेश पारित किया है कि—" प्रार्थीया किरण काबरा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 व 24 दी मेन्टीनेन्स वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र में वर्णित मकान 7 बी इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा से बेदखल किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे हस्तगत मकान का कब्जा अन्दर 15 योम प्रार्थीया को सुपुर्द करें । उक्त आदेश की पालना नहीं करने की स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा को आदेश की पालना हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तथा दौराने बेदखली कार्यवाही किसी प्रकार की शांतिभंग ना हो इसलिये सम्बन्धित थानाधिकारी को आदेशित किया जाता है कि मय जाप्ता मौके पर उपस्थित रहे एवं साथ ही प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण को पाबंद करते हुये आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान 7 बी इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा शांतिपूर्ण निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा प्रार्थीया के साथ लडाई झगडा व गाली गलोच नहीं करें । चूंकि प्रार्थीया वर्तमान में वृद्वावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते है, आय का पर्याप्त स्रोत नहीं होने के कारण प्रार्थीया अपनी सार संभाल स्वयं करने में असमर्थ है । अतः अप्रार्थी क्रम 1 को आदेशित किया जाता है कि अपनी माता को 10,000 / — रूपये मासिक भरण पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न न हों ।

जिला कलक्टर
कोटा

2 अपीलान्ट ने उक्त आदेश दिनांक 30.05.2025 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.09.2025 को जरिये अभिभाषक राकेश श्रृंगी के पेश की गई है जो अन्दर निर्धारित समय सीमा 60 दिवस में पेश नहीं होकर मियाद बाहर है । मियाद के शमन के लिए अपील के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वकील रेस्पोडेन्ट ने धारा 5 का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है । धारा 5 की बहस अपील की अन्तिम बहस की साथ ही बहस सुनी गई । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3 वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थीया के द्वारा अपने पुत्र रेस्पेडेन्ट नं0 2 व अपीलार्थी पुत्रवधु के विरूद्व पैतृक सम्पत्ति प्लॉट नं0 7 बी इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा से अपीलार्थी व उसके पति को बेदखल करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जिसमें रेस्पोडेन्ट नं0 2 द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर स्वयं व अपीलार्थी को बेदखली हेतु प्रस्तुत किया गया तथा अपीलार्थी की ओर से बाद तामील अनुपस्थिति के चलते एकतरफा आदेश किया गया और रेस्पोडेन्ट्स के कथनों को मानते हुए अपीलार्थी को बेदखल करने हेतु आदेश दिनांक 30.5.2025 अपीलार्थी की अनुपस्थिति में पारित कर दिया गया । जो जेर निगरानी आदेश विधि न्याय एवं संचिका में सिद्वी प्राप्त सिद्वान्तों के सर्वथा विपरीत होने से दुरूस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपना निर्णय पारित करते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट कम 2 के मध्य कोटा जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में पारिवारिक, दीवानी जो विवादित सम्पत्ति से सम्बन्धित है एवं वैवाहिक विवाद जेरकार है जिसमें रेस्पोडेन्ट कम 1 भी पक्षकार है तथा न्यायालय सिविल न्यायाधीश कम 1 दक्षिण कोटा में दोनों रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा एक ही परिवाद प्रस्तुत किया है जबकि रेस्पोडेन्ट कम 1 ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय को भ्रमित करते हुए जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसमें रेस्पोडेन्ट कम 1 को भी दोषी बताया है ऐसी स्थिति में पृथक पृथक न्यायालय में पृथक पृथक कथन स्वयं रेस्पोडेन्ट्स की दुर्भावना व आपराधिक आचरण को स्पष्ट करते है, ऐसी स्थिति में न्यायालय को भ्रमित कर प्राप्त किया गया आदेश निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट कम 1 जिस सम्पत्ति को स्वयं की सम्पत्ति दर्शित कर रही है उसमें उसका पूर्ण स्वत्व विद्यमान भी है या नहीं जबकि उक्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति है जिसका कभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है और ऐसी रेस्पोडेन्ट नं0 1 एकल स्वामित्व की कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद ना होने पर भी पारित किया गया आदेश न्याय संचिका में सिद्वी प्राप्त सिद्वान्तों के सर्वथा विपरीत है । उक्त सम्पत्ति में ना सिर्फ अपीलार्थी बल्कि स्व0 श्री विजय कुमार काबरा के पोत्र एवं वास्तविक भूस्वामी स्व0 श्री बंशीलाल काबरा के प्रपोत्र भी निवासरत है जिन्हें बेदखल करने की कोई अधिकार बिना पूर्ण स्वत्व के रेस्पोडेन्ट कम 1 को था ही नहीं । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा मिथ्या कथनों का उल्लेख किया गया और वास्तविक तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया गया जबकि उक्त विवादित सम्पत्ति से सम्बन्धित दो पृथक पृथक दीवानी वाद संख्या 167/2025 बउनवान मनीष काबरा बनाम मोनिका न्यायालय सिविल न्यायाधीश कम 3 उत्तर कोटा में विचाराधीन है । जिसमें अपीलार्थी को बेदखल करने हेतु प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 148/2025 दिनांक 13.6.2025 को निरस्त किया जा चुका है जिसकी अपील संख्या 80/2025 मनीष बनाम मोनिका न्यायालय ए डी जे नं0 6 कोटा में विचाराधीन है तथा एक अन्य दीवानी वाद संख्या 32/2025 मोनिका बनाम मनीष काबरा व किरण काबरा न्यायालय सिविल न्यायाधीश कम 3 उत्तर कोटा में विचाराधीन है, इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट नं0 2 के विरूद्व एक कार्यवाही घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 न्यायालय एसीजेएम नं0 5 कोटा में विचाराधीन है जिसमें भरण पोषण राशि का आदेश होने के बावजूद पालना नहीं की जा रही है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र में दोनों रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित सम्पत्ति से उम्पन्न आय से ही अपीलार्थी का जीवन यापन किया जाना स्पष्ट रूप से रूप से अंकित किया गया है ऐसी स्थिति में मिथ्या कथनों पर आधारित आलोच्य आदेश विधि विरूद्व व निरस्तनीय है । मियाद

के बिन्दु के सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि वक्त तलबी प्रार्थीया का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसके द्वारा एक अधिवक्ता नियुक्त कर उन्हें उपस्थिति देने हेतु निर्देश दिये गये जिनके द्वारा माननीय न्यायालय में उपस्थिति दी गई परन्तु तत्पश्चात कोई सूचना उनके द्वारा प्रार्थीया को नहीं दी गई जबकि आलोच्य आदेश दिनांक 30.5.2025 की जानकारी अपीलार्थी को तहसील लाडपुरा के तामील कुनिन्दा के माध्यम से दिनांक 9.9.2025 को प्राप्त हुई जिस पर अपीलार्थी के द्वारा उसी दिन नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 11.9.2025 को नकल प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.9.2025 को निरस्त किया जाने के आदेश प्रदान करें ।

4 वकील रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनियम की मंशा के अनुरूप निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थीगण अपीलांट एवं रेस्पो0 नं0 2 को प्रार्थीया रेस्पो0 नं0 1 की सम्पत्ति मकान नं0 7 बी इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा से बेदखल कर कब्जा प्रार्थीया रेस्पो0 नं0 1 को सुपुर्द करने के आदेश पारित किये है । चूंकि वर्णित मकान प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पति का होने से वर्णित मकान में प्रार्थीया रेस्पो0 नं0 1 का स्वामित्व व मालिकाना हक निहित है । अप्रार्थीया अपीलांट की ओर से कोई अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है । अधिनियम की मंशा के अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया रेस्पो0 नं0 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के मकान से बेदखली के आदेश पारित किये है जो उचित है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावें ।

5 हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.05.2025 के विरूद्व दिनांक 12.09.2025 को पेश की गई है, जो निर्धारित अवधि 60 दिवस में नहीं होकर मियाद बाहर है । मियाद के शमन के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया है, विलम्ब से अपील पेश करने का कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी तहसील लाडपुरा के तामील कुनिन्दा के माध्यम से दिनांक 9.9.2025 को होना बताया है, तत्पश्चात दिनांक 11.9.2025 को नकल प्राप्त होने पर दिनांक 12.9.2025 को अपील पेश की है, जो जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद होना बताया है । इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया है किन्तु दौराने बहस अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज करने का निवेदन किया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर हो रहा है कि अपीलाधीन आदेश अप्रार्थीगण अपीलांटा की अनुपस्थिति में जारी किया है, तथा अपीलाधीन आदेश से बेदखली के आदेश होने तथा तहसीलदार लाडपुरा को बेदखली के दौरान कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने पर जानकारी तहसील लाडपुरा के तामिल कुनिन्दा के माध्यम से होने का अपीलांट का कथन उचित है । इस अपील में मेरिट का बिन्दु निहित होने से अपील को केवल तकनीकि मियाद के बिन्दु के आधार पर ही खारिज करना हम उचित नहीं मानते है ।

6 वकील अपीलांट का तर्क है कि विवादित प्रोपर्टी मकान नं0 7 बी इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पति एवं अपीलांट के ससुर व रेस्पोडेन्ट नं0 2 के पिता के नाम का है, जिसमें रेस्पोडेन्ट के साथ अपीलांटा व अपीलांटा के पुत्र का भी पूर्ण अधिकार है, वर्णित प्रोपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है तथा वर्णित मकान प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण अपीलांट को वर्णित मकान से बेदखली का आदेश दस्तावेजी साक्ष्य के बिना पर जारी किया है जो विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण का जवाब लिये बिना ही जवाब का अवसर बन्द कर एकतरफा कार्यवाही करते हुए त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है । वकील अपीलांट ने आगे यह भी कथन किया है कि अप्रार्थी नं0 2 अपीलांट एवं अप्रार्थी नं01 रेस्पोडेन्ट नं0 2 पति–पत्नि है, तथा पति पत्नि के मध्य तलाक का मुकदमा विचाराधीन है जो दिनांक 11.2.2024 को रेस्पो0 नं0

2 मनीष काबरा पति द्वारा न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश कम 1 कोटा में प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है, इसके अलावा अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्व घरेलू हिंसा का वा एवं मनीष काबरा के विरूद्व अन्तरिम भरण पोषण का अन्तर्गत धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित में परिवाद न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश कम 1 कोटा के समक्ष प्रस्तुत किये हुए है जो वर्तमान में विचाराधीन है । मनीष काबरा ने अपीलांटा के विरूद्व वाद बाबत स्थायी व आदेशात्मक निषेधाज्ञा का सिविल न्यायाधीश दक्षिण, कोटा में प्रस्तुत किया था जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 13.06.2025 को खारिज कर दिया है । वकील रेस्पोडेन्ट नं0 1 का तर्क है कि अपीलांटा रेस्पोडेन्ट नं0 1 के साथ लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश करती है, तथा उनके पति के मकान पर कब्जा कर रखा है तथा रेस्पोडेन्ट नं0 1 को मजबूरन अन्य मकान में निवास करना पड़ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट की मंशा के अनुरूप निर्णय पारित किया है जो उचित होने से अपील खारिज करने का निवेदन किया है । रेस्पोडेन्ट नं0 2 के वकील अनुपस्थित है ।

7 उपस्थित उभयपक्षकारान की बहस एवं तर्को से यह जाहिर आया है कि अप्रार्थीया अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया है अर्थात प्रार्थीया की बहस के आधार पर ही निर्णय पारित किया है जिससे अपीलांटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष एवं साक्ष्य सबूत पेश नहीं कर पाई है । साथ ही अपीलांटा एवं रेस्पोडेन्ट नं0 2 पति–पत्नि के मध्य तलाक का मुकदमा एवं अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य घरेलू हिंसा के मुकदमे विचाराधीन है । यहां यह भी स्पष्ट हो रहा है कि वर्णित मकान रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पति एवं अपीलांटा के ससुर के नाम है, अपीलांटा के दो पुत्र है जिनका भी इस प्रोपर्टी में बराबर का अधिकार है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीया अपीलांटा को सुने बिना, एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलांटा को बेदखली के आदेश पारित किये है, जिसे हम उचित नहीं मानते है । प्रस्तुत अपील आंशिकरूप से स्वीकार योग्य पाते है ।

8 उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का पारित आदेश दिनांक 30.05.2025 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर दस्तावेजी साक्ष्य रेकार्ड पर ली जाकर विधि अनुरूप निर्णय पारित करें । पक्षकारान अपनी उपस्थिति अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.10.2025 को प्रस्तुत करें ।

9 निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा